अध्यादेश संख्या 15

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य अकादिमक स्टाफ पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सिमिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया/मानक

- सर्वाधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को आकर्षित करने हेतु विश्वविद्यालय की रोलिंग विज्ञापन की नीति होगी जिसके तहत योग्य अभ्यर्थी विभिन्न संकाय पदों हेतु पूरे वर्ष आवेदन कर सकेंगे और स्क्रीनिंग समिति की बैठक से 30 दिन पूर्व तक प्राप्त आवेदनों पर साक्षात्कार हेतु विचार किया जाएगा।
- 2. सभी को समान अवसर प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय सभी पदों को प्रमुख राष्ट्रीय समाचारपत्रों समेत रोजगार समाचार पत्र में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापित करेगा और सभी योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु कम—से—कम 30 दिनों का समय दिया जाएगा।
- 3. विभिन्न पदों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र निवेदन करने पर नाममात्र मूल्य पर उपलब्ध रहेगा जैसा कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् समय—समय पर निर्धारित करेगी तथापि निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से बगैर किसी शुल्क के डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 4. आवेदक को विज्ञापन अधिसूचना में निर्धारित तरीके से नाममात्र का आवेदन प्रक्रिया शुल्क अदा करना होगा जो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग श्रेणी से आने वाले आवेदकों को आवेदन शुल्क अदा करने से छूट होगी।
- 5. ऐसे आवेदक जो पहले से किसी सेवा या रोजगार में हों, उनके लिए उपयुक्त माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होगा। हालाँकि वे अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकते हैं तथापि विधिवत् रूप से अग्रप्रेषित आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र और नियोक्ता के सत्यापन के साथ साक्षात्कार तिथि से दस दिन पूर्व तक विश्वविद्यालय को प्राप्त होना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं होने पर आवेदक को साक्षात्कार हेत् नहीं बुलाया जाएगा।
- 6. अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव, शोध और प्रकाशन की पुष्टि में आवेदकों को सभी सम्बद्ध प्रमाणपत्रों की स्व—अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक होगा जिनकी मूल प्रतियां सत्यापन हेतु साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
- 7. न्यूनतम अर्हता से संबद्ध शर्तें व प्रतिबंध तथा अन्य शर्तें व प्रतिबंध वही होंगे जो यूजीसी द्वारा समय—समय पर निर्धारित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कुलपित संबद्ध अधिष्ठाता व विभागाध्यक्ष से परामर्श कर एवं कार्यपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर विशेष निर्देश दे सकते हैं या अन्य शर्तों का निर्धारण कर सकते हैं, जो भरे जाने वाले पदों के लिए आवश्यक हो।
- 8. न्यूनतम निर्धारित अर्हता व अनुभव धारण कर लेने मात्र से कोई अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के योग्य नहीं हो जाएगा एवं विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह इस उद्देश्य हेतु अधिनियम के अनुसार गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर या न्यूनतम निर्धारित अर्हता व अनुभव से उच्च अर्हता व अनुभव के आधार पर या अन्य किसी शर्त जो उचित हो, के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित कर सकता है।
- 9. साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा टी.ए. / डी.ए / या स्थानीय परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा तथापि साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अनुसूचित जाति / जनजाति श्रेणी के शहर से बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा के प्रमाण के रूप में टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा व्यय के बदले द्वितीय श्रेणी के रेलवे भाड़े के समतुल्य भुगतान किया जाएगा।
- 10. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उनके पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में अनुयाचन की स्थिति में अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- 11. अधिनियम 18 (2) के अनुसार विधिवत् रूप से गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य अकादिमक स्टाफ पदों पर नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर की जायेगी।
- 12. चयन समिति यूजीसी द्वारा समय—समय पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी और आरक्षित श्रेणियों के संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 7 में प्रदान की गयी और यथा तिथि तक संशोधित नियमों व प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

- 13. चयन सिमिति की बैठक विजिटर नॉमिनी व कार्य परिषद द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों से पूर्व परामर्श के पश्चात और उनकी सुविधानुसार तय की जायेगी और राष्ट्रपति के संयोजक द्वारा बैठक का समय और स्थान बताते हुए बैठक की तिथि से कम—से—कम दस दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को एक नोटिस भेजी जायेगी।
- 14. राष्ट्रपति के संयोजक के पास ऐसे किसी भी मामले के संबंध में प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिनका उल्लेख नियम/अधिनियम/अध्यादेश में नहीं है। राष्ट्रपति के संयोजक को चयन समिति की बैठक में मतदान का अधिकार होगा और बराबरी की स्थिति में उनका मत निर्णायक होगा।
- 15. प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार करने के पश्चात यदि चयन समिति का यह विचार हो कि वह अगले कनिष्ठ पद के लिए उपयुक्त है, तो वह ऐसी अनुशंसा कर सकती है।
- 16. चयन समिति को भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबद्ध शर्त या शर्तों के साथ किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति की अनुशंसा का अधिकार नहीं होगा।
- 17. चयन समिति की अनुशंसाओं को कार्य परिषद् में प्रस्तुत किया जाएगा और अधिनियम 12 (2) (ii) के अनुसार नियुक्ति का आदेश कार्य परिषद् के अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा।
- 18. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही तिथि को एक ही चयन सिमित द्वारा चुना जाता है तो चयन सिमित को सेवा में विरिष्ठता का निर्धारण करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की विरिष्ठता योग्यता—क्रम में निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- 19. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीएच श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित आयु में छूट, न्यूनतम योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित वैधानिक प्रावधान का पालन किया जाएगा।
- 20. यदि चयन सिमिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु योग्यता, आयु, अनुभव आदि से संबंधित किसी भी निर्धारित शर्त में छूट की अनुशंसा की जाती है तो उसे उचित ठहराने के कारणों को चयन सिमित की कार्यवाही में विधिवत दर्ज करना होगा।
- 21. किसी चयनित अभ्यर्थी के लिए अग्रिम/अतिरिक्त वेतन वृद्धि की अनुशंसा करते समय चयन सिमित अतिरिक्त/अग्रिम वेतन वृद्धि से संबंधित यूजीसी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करेगी। इसके अतिरिक्त यदि चयन सिमित किसी चयनित अभ्यर्थी को उच्च प्रारंभिक वेतन या अग्रिम वेतन वृद्धि देने की अनुशंसा करना उचित समझती है तो उसे न्यायसंगत टहराने के कारणों को चयन सिमित की कार्यवाही में विधिवत दर्ज कराना होगा।
- 22. चयन सिमिति की अनुशंसाएँ, कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित होने कि स्थिति में, अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैध रहेंगी।
- 23. इन अधिनियमों में निहित प्रावधानों के बावजूद कार्य परिषद् को ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव देने का अधिकार होगा, जिन्होंने नियम 19 (1) के तहत आवेदन न किया हो।
- 24. किसी भी विवाद कि स्थिति में विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी अर्जी या कानूनी कार्रवाई के लिए न्याय—क्षेत्राधिकार मोतिहारी के न्यायालय, जिला — पूर्वी चंपारण, जो विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, तक सीमित होगा।

ORDINANCE NO: 15

PROCEDURE/NORMS TO BE FOLLOWED BY THE SELECTION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO THE POSTS OF PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR, ASSISTANT PROFESSOR AND OTHER ACADEMIC STAFF

1. In order to attract the most talented candidates, the University shall have the policy of rolling advertisements whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year, and all applications received at least 30 days' before the meeting of the Screening Committee shall be considered for being called for the interview.

- 2. In order to provide equal opportunity to all, the University will also advertise all vacancies on all-India basis in leading national dailies and Employment News giving at least 30 days' time to all eligible candidates to apply.
- 3. The prescribed application forms for various positions shall be available at request, for a nominal price, as prescribed by the Executive Council of the University from time to time. However, the prescribed application forms may be downloaded from the university website free of cost.
- 4. Applicants shall be required to pay a nominal application processing fees, as prescribed by the Executive Council of the University from time to time, in the manner prescribed in the advertisement notification. The applicants belonging to the SC/ST/Physically Handicapped category shall, however, be exempted from the payment of application fees.
- 5. Applicants already in the service/employment shall be required to apply through Proper Channel. They may, however, submit an advance copy of their application. However, the duly forwarded application form along with the No Objection Certificate (NOC) and Verification of the Employer must, however, reach the University at least ten days prior to the date of interview, failing which the applicant may not be called for interview.
- 6. Applicants shall be required to attach self-attested copies of all the relevant documents in support of their educational qualifications, work experience, research and publications, which they shall be required to produce in original for verification at the time of interview.
- 7. The terms and conditions with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions shall be as prescribed by the UGC from time to time. In addition to the above, the Vice-Chancellor may prescribe, in consultation with the concerned Dean and Head of the Department, to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.
- 8. The fact that a candidate possesses the minimum prescribed qualification and experience, shall not necessarily entitle him/her to be called for interview and that the University shall have the right to restrict the number of candidates to be called for interview by holding Written Screening Examination; based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.
- 9. No TA/DA and/or local conveyance shall be paid by the University to the candidates called for interview. Outstation candidates belonging to SC/ST categories called for interview shall, however, be paid equivalent to the return single second class railway fare towards their travel expenses on production of Tickets as a proof of their travel.
- Canvassing in any form either by the candidates himself/herself or by any one on behalf of the candidate will disqualify the candidate.
- 11. Appointments to the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other Academic Staff shall be made on all India bases on the recommendations of the duly constituted Selection Committee as per Statute 18(2).
- 12. The Selection Committee shall follow the procedure laid down by the UGC from time to time and that the rules and procedures prescribed by the Government of India in respect of the reserved categories as provided in Section 7 of the Central Universities Act 2009, as amended up to date, shall be strictly adhered to.

- 13. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and of the experts nominated by the Executive Council and that the President-Convener shall issue, to each member a Notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting.
- 14. The President-Convener shall have the power to lay-down the procedure in respect of any matter not mentioned in the Act/Statute/Ordinance. The President-Convener shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in the case of a tie.
- 15. The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he or she will be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation.
- 16. The Selection Committee shall have no power to recommend candidates for appointment with condition(s) attached to the occurrence of the future events.
- 17. The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Executive Council and orders of appointment shall be issued after the approval of the Executive Council in accordance with Statute 12(2)(ii).
- 18. In case two or more persons are selected on the same date and by the same selection committee, the selection committee shall have the right to specify the seniority in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.
- 19. The statutory provision relating to the relaxation in age, minimum qualification, experience etc. as prescribed in case of the candidates belonging to SC/ST/OBC/PH categories shall be adhered to.
- 20. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., the reasons justifying the same shall have to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.
- 21. While recommending advance/additional increment(s) to a selected candidate, the Selection Committee shall abide by the rules relating to the additional/advance increment as specified by the UGC regulations. Further, when the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial pay or advance increments to be offered to a selected candidate, the reasons justifying the same has to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.
- 22. The Selection Committee's recommendations, when approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.
- 23. Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, it would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons who may not have applied in accordance with Statute 19(1).
- 24. In cases of any disputes any suites or legal proceedings against the University, the jurisdiction shall be restricted to the Courts in Motihari, District East Champaran, which is the Headquarter of the University.